

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] No. 41] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2017/पौष 28, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 2017/PAUSA 28, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 46(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 125 की उपधारा (7) और धारा 469 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और अन्य निबंधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
 - (ख) "विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 125 के अधीन यथापरिभाषित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में हैं।
- 3. **लागू होना.-** ये नियम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक के लिए लागू होंगे।
- 4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर की इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

293 GI/2017 (1)

- 5. भर्ती की पद्धित, पात्रता आदि.-भर्ती की पद्धित, पात्रता और इससे संबंधित अन्य मामले इस अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 6. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया.- पदों, जहां कहीं अनुसूची में विहित हो, पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:
 - (1) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा।
 - (2) उपर्युक्त उप नियम 1 के अधीन प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए इस अनुसूची के स्तंभ (12) के अनुसार चयन समिति का गठन किया जाएगा।
- 7. प्रतिनियुक्ति की अवधि.-प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से तत्काल पहले केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, 67700-208700/-रुपये के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 के नीचे के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष और 118500-214100/-रुपये या अधिक के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 के पदों के लिए पांच वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस संबंध में जारी वर्तमान निदेशों के अनुसरण में बढ़ाया जा सकता है।
 - (2) प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवारत अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निदेश लागू होंगे।
- 8. **सेवा की शर्तें.-**विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक के वेतन, भत्ते और छुट्टी के मामलों सहित सेवा की शर्तों का नियमन केन्द्र सरकार के वेतन मैट्रिक्स में सदृश स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू नियमों और विनियमनों के अनुसार किया जाएगा।
- 9. स्थान-सुविधा.-विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक को केन्द्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में सदृश स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के लिए लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित दर के अनुसरण में मकान किराया भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा:

परंतु यदि उन्हें साधारण पूल रिहायशी आवास के लिए पात्र घोषित किया गया हो और उनके पास उन्हें आवंटित सरकारी आवास हो, तो वे आवास किराया भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे।

- 10. **अनुशासनिक कार्रवाई.-**विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की रूप-रेखा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में सदृश स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और विनियमों के अनुसार अधिसूचित की जाएगी।
- 11. **निरर्हता.-**वह व्यक्ति -
 - (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
 - (ii) जिसने अपने पित या पत्नी के जीवित रहते हुए व्यक्ति से विवाह किया है या संविदा की है, उक्त पदों की नियुक्ति के पात्र होंगे:

परंतु कि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

12. शिथिलता करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए वही कारण हैं, लेखबध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची (नियम 4 देखें)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों के लिए आयुसीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
1 (1) महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण	2 *1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	3 लागू नहीं होता	4 1,18,500/- रुपये — 2,14,100/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13	5 लागू नहीं होता	6 लागू नहीं होता	7 लागू नहीं होता	8 लागू नहीं होता
(2) सहायक महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण	*1 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	56,100/-रुपये - 1,77,500/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	सीधे होगी या प्रोन्नति	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में इन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13
लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति के लिए	लागू नहीं होता
होता		केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के	चयन समिति में	
		अधिकारी	निम्नलिखित हैः-	

		T		1
		(i) नियमित आधार पर सदृश पद	(i) अपर सचिव,	
		धारण कर रहे हों	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
		अथवा	– अध्यक्ष	
		(ii) 78800-209200/- रुपये के वेतन	 (ii) संयुक्त सचिव	
		मैट्रिक्स स्तर 12 में छ: वर्ष की	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
		नियमित सेवा		
			– सदस्य	
		अथवा ्	(iii) संयुक्त सचिव	
		(iii) 67700-208700/- रुपये के	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	
		वेतन मैट्रिक्स स्तर 11 में दस वर्ष की	- सदस्य	
		नियमित सेवा		
		वांछनीयः		
		प्रशासन/स्थापना में अनुभव		
लागू नहीं	1100.10	_00_0		0. 7
1 115 161	प्रतिनियुक्ति	<u>प्रतिनियुक्ति द्वारा</u>	प्रतिनियुक्ति के लिए लागूः	नहीं होता
होता	प्रातानयुक्ति 	<u>प्रातानयुक्ति द्वारा</u> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के	प्रतिनियुक्ति के लिए लागूः चयन समिति में	नहीं होता
1 _ *') प्रातानयुक्त	1	1 31	नहीं होता
1 _ *') प्रातानयुक्त	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के	चयन समिति में	नहीं होता
1 _ *') प्रातानयुाक्त	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी	चयन समिति में निम्नलिखित है:-	नहीं होता
1 _ *') प्रातानयुाक्त	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी (i) नियमित आधार पर सदृश पद	चयन समिति में निम्नलिखित है:- (i) अपर सचिव,	नहीं होता
1 _ *') प्रातानयुाक्त	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों अथवा	चयन समिति में निम्नलिखित है:- (i) अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष	नहीं होता
1 _ *'	प्रातानयुाक्त 	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों अथवा (ii) 47600-151100/- रुपये के वेतन	चयन समिति में निम्नलिखित है:- (i) अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव	नहीं होता
1 _ *'	प्रातानयु <u>ा</u> क्त	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों अथवा (ii) 47600-151100/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 में दो वर्ष की नियमित	चयन समिति में निम्नलिखित है:- (i) अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष	नहीं होता
1 _ *'	प्रातानयु।क्त	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों अथवा (ii) 47600-151100/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 में दो वर्ष की नियमित सेवा	चयन समिति में निम्नलिखित है:- (i) अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव	नहीं होता
1 _ *'	प्रातानयु <u>ा</u> क्त	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों अथवा (ii) 47600-151100/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 में दो वर्ष की नियमित	चयन समिति में निम्नलिखित है:- (i) अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	नहीं होता
1 _ *'	प्रातानयु।क्त	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों अथवा (ii) 47600-151100/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 में दो वर्ष की नियमित सेवा	चयन समिति में निम्नलिखित है:- (i) अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य (iii) संयुक्त सचिव	नहीं होता
_ **	प्रातानयु।क्त	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों अथवा (ii) 47600-151100/- रुपये के वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 में दो वर्ष की नियमित सेवा	चयन समिति में निम्नलिखित है:- (i) अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	नहीं होता

[फा. सं. 05/19/14-आईईपीएफ]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2017

- **G.S.R. 46(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 125 and section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- **1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of General Manager and Assistant General Manager) Rules, 2017
 - (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions. -** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (b) "Investor Education and Protection FundAuthority" means the Authority as defined under section 125 of the Act;

- (2) All the words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.
- **3. Application.** -These rules shall apply to the General Manager and Assistant General Managerof the Investor Education and Protection Fund Authority.
- **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.
- **5. Method of recruitment, eligibility etc. -** The method or recruitment, eligibility and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
- **6. Procedure for appointment on deputation. -** The following procedure shall be followed for making appointment on deputation to posts wherever prescribed in the Schedule:
- (1) The Investor Education and Protection Fund Authority shall invite applications for the posts of General Manager and Assistant General Manager.
 - (2) The selection committee for evaluating the applications received under sub-rule 1 above shall be constituted as per column 12 of the schedule.
- **7. Period of deputation.-** The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall be three years from the date of beginning of the deputation for the posts below LEVEL 11 in the PAY MATRIX of Rs67700 208700and shall be five years for the posts of LEVEL 13 in the PAY MATRIXof Rs 118500 214100 or above. The period of deputation may be extended as per extant instruction of the Department of Personnel and Training issued in this regard.
- (2) The applicant for deputation should not have attained the age of fifty six years on the last date of receipt of applications. The instructions issued by Department of Personnel and Training shall be applicable to officers and staff serving on deputation basis to the Investor Education and Protection FundAuthority
- **8.** Conditions of service. The conditions of service of the General Manager and Assistant General Manager of the Investor Education and Protection Fund Authority including in matters of pay, allowances and leave shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are as the extant time applicable to the officers and employees of the corresponding Level in the Pay Matrix of the Central Government.
- **9. Accommodation.** The General Manager and Assistant General Manager of the Investor Education and Protection Fund Authority shall have the option of claiming House Rent Allowance in accordance with the rate prescribed by the Central Government as applicable to officers and employees of the corresponding Levels in the Pay Matrix of the Central Government:

Provided that they shall not be eligible for House Rent Allowance in case they are declared eligible for general pool residential accommodation and occupy such a Government accommodation allotted to them.

10. Disciplinary Proceedings. – The modalities of disciplinary proceedings against the General Manager and Assistant General Manager of the Investor Education and Protection Fund Authority shall be notified by the Chief Executive Officerof the Investor Education and Protection Fund Authority as per rules and regulations applicable to officers and employees of the corresponding Level in the Pay Matrix of the Central Government.

11. Disqualification. - No person-

- (i) who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

(see rule 4)

			(577	Tuic +)			
Name of	Number of	Classification	LEVEL in	Whether	Age limit	Educational	Whether age
the Post	Post		the Pay	selection	for direct	and other	and other
			Matrix	post or non-	recruits	qualifications	educational
				selection		required for	qualifications
				post		direct recruits	prescribed
				1			for direct
							recruits will
							apply in the
							case of
							promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	*1 (2017)	Not	Level – 13	Not	Not	Not	Not
General		applicable	in pay	applicable	Applicable	Applicable	Applicable
Manager,	*Subject to		matrix of				
IEPF	variation		Rs.				
Authority	depending on		118500 -				
	work load		214100.				
(2)	*1 (2017)	Not	Level - 10	Not	Not	Not	Not
Assistant		applicable	is the pay	Applicable	Applicable	applicable	applicable
General	*Subject to		matrix of				
Manager,	variation		Rs. 56100				
IEPF	dependingon		- 177500				
Authority	work load						

Period of	Method of	In case of recruitment by promotion or	If Departmental	Circumstances
probation,	recruitment,	deputation or absorption, grades from	Promotion Committee	in which
if any	whether by direct	which promotion/ deputation/	exists, what is its	UPSC is to be
	recruitment or by	absorption is to be made	composition	consulted in
	promotion or by			making
	deputation or			recruitment
	absorptions and			
	percentage of posts			
	to be filled by			
	various methods			
9	10	11	12	13
Not	Deputation	By Deputation	The Selection	Not Applicable
Applicable		Officers of the Central or State	Committee for	
		Government	deputation consists of:	
		(i) holding analogous post on regular	(i) Additional Secretary,	
		basis.	Ministry of Corporate	
		- or	Affairs Chairman	
		(ii) with six years regular service in	(ii) Joint Secretary,	
		LEVEL 12 in the Pay Matrix of	Ministry of Corporate	
		Rs. 78800 – 209200.	Affairs Member	
		or	(iii) Joint Secretary,	
		(iii) with ten years regular service in	Ministry of Corporate	
		LEVEL 11 in the Pay Matrixof	Affairs Member	
		Rs 67700 - 208700		
		Desirable: Having experience in		
		Administration/ Establishment		

Not	Deputation	By Deputation	The Selection Not Applicable
applicable	2 op atation	Officers of the Central or State	
		Government	deputation consists of :
		(i) holding analogous post on regular	(i) Additional Secretary,
		basis.	Ministry of Corporate
		-or-	Affairs Chairman
		(ii) with two years regular service in	(ii) Joint Secretary,
		LEVEL 8 in the Pay Matrix of	Ministry of Corporate
		Rs. 47600 - 151100	Affairs Member
		Desirable : Having experience in	(iii) Joint Secretary,
		Administration/Establishment	Ministry of Corporate
			Affairs Member

[F. No. 05/19/14-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.